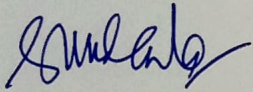


प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का स्वामित्व / मूल्य प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड बरेली, NH-30 (चैनेज 294.315 से 325.00 तक दायीं तरफ), NH-30 (चैनेज 325.00 से 341.00 तक बायीं तरफ) तथा NH-731 (चैनेज 82.810 कि॰ मी॰ से चैनेज 114.265 कि॰ मी॰ तक दायीं तरफ) और अटसलिया रेलवे फाटक से GIC तक के PWD मार्ग पर (कुल 3.8 कि॰ मी॰ पर दायीं तरफ), पर जिला शाहजहाँपुर में गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 4.0945 है॰ संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवेदित संरक्षित वन भूमि पर स्वामित्व लोक निर्माण विभाग/एन० एच० ए० आई० का है तथा वन सम्पदा की क्षति पूर्ति हेतु वांछित वनीकरण की योजना तथा वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का भार वहन करने एवं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों वन भूमि के नेट प्रेजेंट वैल्यू (एन०पी०वी०) का भुगतान यदि आवश्यक होगा तो यह शर्तें मान्य है और उनका अनुपालन किया जायगा आपेक्षित संरक्षित क्षेत्र / भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।



(जी. एच.वी. राव)

उप महाप्रबंधक - परियोजना

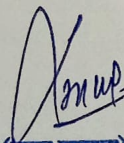
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली

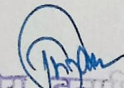
जी.एच.वी. राव
G.H.V. RAO
उप महाप्रबंधक-परिचालन एवं बिक्री
Deputy General Manager-Operation And Sales

25/6/22

A. Kumar
(आदर्श कुमार)
प्र. प्रभागीय निदेशक
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
सामाजिक वानिकी प्रभाग
शाहजहाँपुर
25/6/22


उप प्रभागीय वनाधिकारी
पुष्पायाँ
वन एवं वन्य जीव प्रभाग


(रमा कान्त)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
सिंधौली रेंज


क्षेत्रीय वनाधिकारी
तिलहर रेंज